भारतीय गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह व सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय मंत्रीगण..... मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, गृह व आयोग के सचिव अन्य राष्ट्रीय व राज्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिगण, विभिन्न देशों के राजनयिक, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य, नागरिक समाज, वरिष्ठ व अन्य अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण।

मैं, भारत के कर्मठ एंव अति लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनन्दन करने में गौरवान्वित अनुभव करता हूं। हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। आज वैश्विक पटल पर भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है और इसे एक नई ताकत के रूप में पहचान मिली है, जिसका श्रेय भारत के नागरिकों, देश की संवैधानिक व्यवस्था और देश के नेतृत्व को जाता है।

मुझे माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक अभिनन्दन करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर व उत्तर-पूर्व में शांति व कानून व्यवस्था के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं यहां उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित न्यायमूर्तिगण व मंत्रीगण एवं अन्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करता हूँ।

हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन में अग्रणी है। हमारे देश में जन-कल्याण संबंधी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे मानव जीवन एवं मूल्यों के संरक्षण को नया आयाम मिला है। भारत में मानव अधिकार आयोग 28 वर्ष से कार्यरत है, जबकि दूसरे कई महाशक्तिशाली देशों में ऐसे संस्थान स्थापित तक नहीं किए गए हैं।

भारत में विश्व की कुल आबादी का छठा भाग निवास करता है, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना निसंदेह अत्यंत दुरूह कार्य है, फिर भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली शांतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से हर समस्या का समाधान करती है। भारत की महान उपलब्धियों में किए गए योगदान के लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व इसमें योगदान करने वाले सभी संबंधितों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

मानवीय गरिमा के मूल्य व अधिकारों की अवधारणा वैदिक साहित्य, भारतीय जीवन दर्शन व संस्कृति में समाहित है। हम नारी को 'शक्ति' का अवतार मानते हैं, 'दुर्गा पूजा' इसका प्रमाण है। हमारी संस्कृति मानव जीवन हेतु आवश्यक 'प्रकृति' की रक्षा के प्रति संवेदनशील है, प्रकृति के विविध रूपों जैसे जीवन दायनी नदियों को मां, पशुओं एवं वनस्पतियों, यहां तक कि 'चॉद' को भी रिश्ते में बांध दिया है। हमारे देश में सर्वधर्म-समभाव है, मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है।

मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमादा है। 20वीं सदी में विश्व में राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनैतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे छदम आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाजसेवी संस्थाओं व मानव अधिकार संरक्षकों (HRDs) को राजनैतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निन्दा करनी चाहिए, इस संबंध में उदासीनता, कट्टरवाद (**Fundamentalism**) को जन्म देगी और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है, जब हमें इसका डटकर प्रतिरोध करना होगा, कम-से-कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज तो उठानी ही होगी।

वर्तमान में ड्रग माफिया द्वारा राष्ट्र के युवा व बहादुर कौमों को मादक पदार्थों की लत से पथभ्रष्ट किया जा रहा है। राष्ट्र की युवा शक्ति का यह ह्रास अत्यंत चिंतनीय है, क्या पीड़ितों का पुनर्वास ही हमारी नियति बन गई है ?

हमारे देश में प्रेस, मीडिया और साइबर स्पेस की 'स्वतंत्रता' दी गई है, जो संवैधानिक और मानवीय दायित्वों के निर्वहन के अधीन है। गणराज्य के आधारभूत स्तम्भ न्यायालय की गरिमा को अपमानजनक **(contemptuous)** आचरण से नष्ट करने की किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है और न ही यह स्वतंत्रता किसी को दी जानी चाहिए। बाहरी ताकतों द्वारा भारत पर मानव अधिकारों के हनन का छद्म आरोप लगाना सामान्य बात हो गई है। इसके प्रतिकार के साथ ही, 'संस्कृति' तथा प्रचलित 'भाषाओं' को समूल नष्ट करने के प्रयासों का पुरजोर प्रतिरोध भी आवश्यक है।

आयोग सुशासन (**Good Governance)** में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही, न्यायपालिका को भी मानव अधिकार संरक्षण हेतु यथासंभव सहयोग करता है।

न्याय व शान्ति एक दूसरे के पूरक हैं और हमारी कानून एवं व्यवस्था इस पर आधारित है। 'त्वरित न्याय' प्राप्ति, मानव का 'मूलभूत अधिकार' है, जो आज भी एक सपना है। सत्य तो यह है कि मुकदमों के खर्च पहुंच से बाहर हैं। न्याय प्राप्ति हेतु प्रभावी व दीर्घकालीन योजना की नितांत आवश्यकता है।

पुलिस अन्वेषण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली ऐसी हो कि सीबीआई द्वारा जांच की आवश्यकता ही न पड़े। जेलों में, कैदियों की आपराधिक मनोवृत्ति में सुधार लाने के लिए योग, ध्यान व सद् व्याख्यान अपेक्षित है। भारत में कैदियों को भी गरिमा के अधिकार प्राप्त हैं। आयोग हिरासत में हुई हर मृत्यु की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मृत्यु किसी ज्यादती के कारण तो नहीं हुई है।

'तत्काल न्याय' **(Instant Justice)** की आड़ में पुलिस द्वारा 'मुठभेड़' और इस हेतु 'उकसाना' असंवैधानिक व निंदनीय कृत्य है। हमें इस बर्बरता से मुक्ति पाने का प्रयास करना होगा।

'आरक्षण का लाभ' उन्नत 'आरक्षित वर्ग' के उपभोग (usurp) कर लेने के कारण अभी तक इस 'वर्ग की पंक्ति' के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। राज्यों को इस वंचित समुदाय के उत्थान के लिए (to trickle down benefit), उपलब्ध आरक्षण में से, कुछ प्रतिशत आरक्षण नियत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज भी आरक्षित वर्ग में कई समुदाय निर्धन हैं। इनका सशक्तिकरण होने तक आरक्षण की आवश्यकता होगी।

जीवन दायनी गंगा पर देश की एक बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर है। 'नमामि गंगे' योजना की समय पर पूर्णता अपरिहार्य है। 'यमुना' भी 'सरस्वती' की तरह विलुप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल आवश्यक है, कूड़ा-करकट से मुक्ति और उसके उपचार हेतु, स्वच्छ भारत-II योजना का सफल क्रियान्वयन अपेक्षित है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principle of state policy) को मूर्त रूप देने के लिए कल्याणकारी योजनाएं निर्मित की गई हैं। अत: राज्यों एवं निकायों द्वारा इनका गंभीरता पूर्वक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कानूनन आवश्यक हो जाता है, निष्क्रियता व उदासीनता होने पर न्यायालय द्वारा इन योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक 'दिशा-निर्देश' जारी किए जा सकते हैं।

आज ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा है, प्रत्येक देश द्वारा इस हेतु 'स्थानीय' स्तर पर 'पर्यावरण' में सुधार लाया जाना आवश्यक है। ''**We have to think globally and act locally''.** अंटार्कटिका में खनन **(Mining)** से जलवायु को खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम 'पृथ्वी ग्रह' के संरक्षक **(Custodian)** हैं, अत: हमारा यह दायित्व है कि भावी पीढ़ी के लिए हम इसे सुरक्षित बचाए रखें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का अवलम्बन लिया जा रहा है, परन्तु सबको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ई-कॉमर्स ने भी असमानता पैदा की है। छोटे विक्रेताओं **(Small Vendors)** की जीविका की समाप्ति की कीमत पर ऑनलाइन कारोबार समृद्ध हो रहा है। इस दौर में आपूर्ति की ऐसी श्रृंखला बनाई जानी आवश्यक है जिसमें सभी कारोबारियों को आनुपातिक लाभ प्राप्त हो।

गरीबों को जीवनरक्षक दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जीवन का अधिकार, बौद्धिक संपदा के अधिकार **(Intellectual Property Rights)** से बढ़कर है। जीवन रक्षक दवाइयों, औषधियों एवं टीकों के पेटेंटधारकों के बौद्धिक संपदा अधिकार पर जीवन के अधिकार को प्रमुखता दी जानी चाहिए। **Right to life must prevail over rights of patent holders of life saving drugs, medicines and vaccines.**

वैश्वीकरण के दौर में मंहगे विदेशी 'ब्रांड' की आंधी में उससे अधिक उत्तम भारतीय उत्पादन व इसमें कार्यरत जनशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समय की मांग है कि न्यायपालिका व अन्य हितधारक इस पर विचार करें कि, वैश्वीकरण से हो रहे लाभों को दृष्टिगत रखते हुए, इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से कैसे बचा जाए।

आयोग द्वारा अब तक मानव अधिकार से संबंधित 20 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है व 205 करोड़ रुपये के मुआवजे की अनुशंसा की गई है। आयोग ने एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। आयोग ने मृतकों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार, सेप्टिक टैंकों की यांत्रिक सफाई व इसमें संलग्न सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने हेतु एवं दूर-दराज क्षेत्रों में खाद्य वितरण की उपलब्धता, सुगम्यता व पहुंच संबंधी आदि विविध विषयों में 22 एडवाइजरी जारी की है। आयोग अनाथालयों व छात्रावासों की स्थिति में भी सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।

आयोग का प्रयास अपने प्रतीक चिह्न की मूल भावना को सार्थक करने का है जो कि यह इंगित करता है कि सूर्य की किरणें, आशा व गति की सूचक हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ पहुंचाती हैं। ऐसा करके वे सार्वभौमिक स्नेह व आशा का संदेश दे रही हैं, जो कि मानवता का मूलभूत अधिकार है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भारत की इस पुण्य मातृभूमि को नमन करता हूं।

'जय हिंद'